

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

R 2743- PBR114

मांगीलाल पिता तुलसीराम जाति कुमावत उम्र 75 वर्ष

निवासी ग्राम भानगढ तह0 सरदारपुर जिला धार

.....निगरानीकर्ता

बनाम

शांताबाई पति स्व. रतनलाल जैन उम्र 60 वर्ष

निवासी राजगढ तह0 सरदारपुर जिला धार

.....विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता तर्फे अत्यन्त विनम्रता से निवेदन है कि विपक्षी ने छलयुक्त कोई अर्जी उसकी भूमि और निगरानीकर्ता की भूमि के बीच स्थायी मेढ है जो पुरखो के समय की है स्वयं विपक्षी ने वह मेढ पारकर छलयुक्त निगरानीकर्ता की निजी भूमि में जो पडोसी काश्तकार है प्रवेश की दृष्टि से छलयुक्त कोई अर्जी दी धारा 129 भूरासं की जिसकी कोई सूचना मुझ पडोसी काश्तकार को नहीं दी गई जबकि विधि में स्पष्ट है कि पडोसी काश्तकार को सूचना लाजमी है आज्ञापक है उसका पालन नहीं किया और मेरे बारे में असत्य उल्लेख किया जबकि मुझे कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं है मिनारा उठाने का स्थान भी नहीं है अडोसी पडोसी काश्तकार को कोई सूचना नहीं है उनकी गैर मौजूदगी में छलयुक्त कार्यवाही की है जबकि व्यक्तिगत सूचना लाजमी है इस संबंध में राजस्व प्रकरण क्रमांक 54/2009-10/अ-12 में दिनांक 16.06.2014 को जो छलयुक्त प्रतिवेदन बनाया गया है एवं पंचनामा बनाया है वह सही नहीं है धारा 124 से 129 भूरासं के नियम उपनियम का पालन नहीं है अतः सारी कार्यवाही विचाराधिकार रहित है छल लिये हुए है जिसको अपास्ती बाबद यह निगरानी पेश है नकल के दिन मुजरा जाते यह निगरानी पेश है अतः जानकारी के बीच की अवधि व नकल की अवधि मुजरा जाते यह निगरानी अर्ज निम्न आधारों पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत प्रस्तुत हैं :-


2680  
पोस्ट डास आज  
19-8-14 को प्राप्त

मान्यवर महोदय,  
राजस्व मण्डल ग्वालियर

13/5/15

उपरोक्त  
आवेदक अभिभाषक पूर्व पेशी पर सूचना  
उपरोक्त अनुपस्थित। आज भी पेशी पर  
उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभाषक की  
अनुपस्थिति में प्रकरण उदक पेशी में रखा जा  
रहा है।

उपरोक्त

  
डा. म. म. म.